निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 72 / 2025
दायरा दिनांकः—11.08.2025
निर्णय दिनांकः— 4.11.25

उनवान

1. गोपाल आयु 74 साल पुत्र ग्यारसीराम जाति बैरवा निवासी ग्राम खोपर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः— 4.11.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री सोमेश कुमार गालव — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल खोपर पटवार मण्डल खोपर तहसील छबड़ा की 2078 जमाबन्दी 2079 (वर्ष 2023) से स्थायी मे खाता संख्या 47 मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 379 / 1 रकबा 0.4047 हैक्टयर खसरा नम्बर 397 / 1 रकबा 3.3892 हैक्टयर, कुल किता 2 कुल रकबा 3.7939 हैक्टयर भूमि स्थित है जो खातेदार गोपाल पुत्र ग्यारस्या जाति बैरवा सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड जमाबन्दी चली आ रही है। जिस पर प्रार्थी निर्बाध रूप से काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के आधार कार्ड, परिचय पत्र, पेन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक डायरी, जाति प्रमाण पत्र, वगेरहा सभी दस्तावेजो में प्रार्थी के पिता का नाम ग्यारसीराम दर्ज है। प्रार्थना पत्र मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी मे प्रार्थी के पिता ग्यारस्या दर्ज रिकार्ड है जो अशोभनीय एंव अशुद्ध है जिसे प्रार्थी शोभनीय एंव शुद्ध ग्यारसीराम दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड मे ग्यारस्या एंव प्रार्थी के अन्य दस्तावेजो मे ग्यारसीराम दर्ज होने से प्रार्थी को अनेक परेशानियो का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में उसके पिता का शोभनीय नाम ग्यारसीराम दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से रिपोर्ट / जवाब पेश हुआ। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075—78

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

...ता संख्या 47 पेश की गई। फोटो प्रति आधार कार्ड, पेन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, बैक पास बुक पेश किये गयें।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके खोपर तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी के आधार कार्ड, परिचय पत्र, पेन कार्ड परिवार राशन कार्ड बैक पास बुक, जाति प्रमाण पत्र, में प्रार्थी के पिता का सही नाम ग्यारसीराम दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम ग्यारसीराम के स्थान पर ग्यारस्या दर्ज कर दिया। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को अनेक परेशानियों का सामना करना पड रहा है प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार से मिलने वाले लाभ नही मिल पा रहे है प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में ग्यारस्या के स्थान पर ग्यारसीराम दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम खोपर की भूमि खाता संख्या 47 किता 2 रकबा 3.7939 है0 में वर्तमान जमाबन्दी में गोपाल पुत्र ग्यारस्या हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा सा0देह खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का नाम गोपाल पुत्र ग्यारस्या नामान्तरण संख्या 178 दिनांक 15.11.1967 से विरासत के नामान्तरण से दर्ज हुआ है। चूंकि प्रार्थी के पिता का नाम जमाबन्दी में ग्यारस्या ही दर्ज था इसलिए विरासत नामान्तरण में उक्त नाम ही दर्ज किया गया। तब से लेकर आदिनांक तक जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम ग्यारस्या दर्ज चला आ रहा है प्रार्थी के सभी दस्तावेजों में पिता का नाम ग्यारसीराम दर्ज है जॉच के दौरान मौके पर उपस्थित मौतवीरान से जानकारी लेने पर पाया गया कि प्रार्थी के पिता को ग्यारस्या एवं ग्यारसीराम दोनो नामों से जाना जाता था। एवं गांव में बोलचाल की भाषा में ग्यारस्या के नाम से बुलातें थें। उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है जमाबन्दी में प्रार्थी के पिता का नाम ग्यारस्या के स्थान पर ग्यारसीराम दुरूस्त करने की अनुशंषा की है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खोपर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 47 में गोपाल पुत्र ग्यारस्या जाति बैरवा दर्ज है आधार कार्ड, पेन कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र बैक पास बुक में गोपाल पुत्र ग्यारसीराम दर्ज है प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में ग्यारस्या गलत दर्ज है तथा अन्य दस्तावेजात में ग्यारसीराम सही दर्ज है प्रार्थी अपने पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में सही दर्ज करवाना चाहता है तहसीलदार छबडा द्वारा विरासत के नामान्तरण में गोपाल के पिता का नाम ग्यारस्या गलत दर्ज होना बताया है ग्यारस्या व ग्यारसीराम दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है तहसीलदार छबडा ने भी ग्यारस्या के स्थान पर ग्यारसीराम दुरूस्त करने की अनुशंषा की है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम खोपर तहसील छबडा के खसरा नम्बर 379/1 रकबा 0.4047 है0 खसरा नम्बर 397/1 रकबा 3.3892 है0 में प्रार्थी के पिता का नाम गोपाल पुत्र ग्यारस्या के स्थान पर गोपाल पुत्र ग्यारसीराम दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)